

राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश  
राखनऊ-२२७१३२

5097  
संख्या-ई.स./जी.एस.  
दिनांक 14.9. 2008

प्रेषक,

श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के विशेष सचिव  
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

कुलासचिव,  
बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय,  
झांसी।

महोदय,

आपके पत्र संख्या-बु.वि./सम्बद्धन/२००४/१७१०-१३/ दिनांक १७.८.२००४ के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निर्देश हुआ कि महामहिम कुलाधिपति महोदय ने उ०प्र०राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७३ की धारा ३७(२) सुसंगत प्रावधानों के तथा संशोधन अधिनियम २००३ की धारा-५ के अधीन एकलव्य महाविद्यालय दुरेडी रोड बांदा को स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय में बी.एड पाठ्यक्रम में सौ सीटों एवं बी.पी.एड. पाठ्यक्रम में पचास सीटों की प्रवेश क्षमता के साथ स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक १.७.२००४ से आगामी एक वर्ष हेतु सम्बद्धता की स्वीकृति सहर्ष प्रदान कर दी है :-

१. संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित समस्त मानकों को पूर्ण तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित करेगी एवं परिषद द्वारा निर्धारित समस्त शर्तों का अनुपालन करेगी।
२. महाविद्यालय सम्बद्धता प्राप्त होते ही निरोक्षण आख्या में इंगित समस्त कमियों को पूरा कर लेगी अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
३. संस्था उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या - २८५१/सत्तर-२- २००३-१६ (६२)/२००२, दिनांक २ जुलाई, ०३ में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं समय-समय पर इस विषय में निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी। विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त महाविद्यालय द्वारा शासनादेश एवं अन्य सुसंगत नियमों का पूर्णरूपेण परिपालन किया जा रहा है।
४. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली में वर्णित तथा शासन द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उ०प्र०राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम १९७३ के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

भयवीय,

( राकेश कुमार ओझा )  
कुलाधिपति के विशेष सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

१. सचिव, उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, उ०प्र०१८-५, म्याप मार्ग, इलाहाबाद।
२. प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग राखनऊ।
३. निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद।
४. प्राचार्य, एकलव्य महाविद्यालय दुरेडी रोड बांदा।
५. क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, उत्तर: क्षेत्रीय समिति, ४६-५, तिलक नगर, शांति पथ, जयपुर।

( राकेश कुमार ओझा )  
कुलाधिपति के विशेष सचिव

प्रेषक,  
श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के विशेष सचिव  
उत्तर प्रदेश।  
सेवा में,  
कुलसचिव,  
बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय,  
झाँसी।  
महोदय,

आपके पत्रांक-बु०वि०वि०/सम्ब०/२००५/५८४-८६ दिनांक १२-०५-२००५ के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि महामहिम कुलाधिपति महोदय ने उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-१६७३ की धारा-३७ (२) के अधीन एकलव्य महाविद्यालय, दुरेड़ी रोड, बॉदा को स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत बी०एड० पाठ्यक्रम में १०० सीट तथा बी०पी०एड० पाठ्यक्रम में ५० सीट की प्रवेश क्षमता सहित स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक ०१-०७-२००५ से सम्बद्धता की स्वीकृति सहर्ष प्रदान कर दी है:-

- १- संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित समस्त मानकों को पूर्ण तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित करेगी एवं परिषद द्वारा निर्धारित समस्त शर्तों का अनुपालन करेगी।
- २- संस्था उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या-२८५१/सत्तर-२-२००३-१६ (६२)/२००२, दिनांक २ जुलाई २००३ में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं समय-समय पर इस विषय में निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
- ३- यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-१६७३ के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

भवदीय,

(हरी चरन प्रकाश)  
कुलाधिपति के विशेष सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- १- सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- २- निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद।
- ३- क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, उत्तर क्षेत्रीय समिति, ४६-ए, तिलकनगर, शान्तिपथ, जयपुर।
- ४- प्रबन्धक/प्राचार्य, एकलव्य महाविद्यालय, दुरेड़ी रोड, बॉदा।

(हरी चरन प्रकाश)  
कुलाधिपति के विशेष सचिव

# बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी

दिनांक :- 12/01/2006

पृष्ठांकन सं०- बु०वि०/सम्ब०/2006/2308-15

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रबंधक/ प्राचार्य, एकलव्य महाविद्यालय, दुरेडी रोड, बांदा।
2. प्रति कुलपति जी के वैयक्तिक सहायक।
3. क्षेत्रिय उच्च शिक्षा अधिकारी, झाँसी।
4. विभागाध्यक्ष, शिक्षा संस्थान, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी।
5. सहा० कुलसचिव(परीक्षा)
6. कुलपति जी के निजी सचिव को कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
7. कुलसचिव के आशुलिपिक।
8. कार्य परिषद से सम्बंधित सहायक को इस आशय से प्रेषित कि उक्त प्रकरण कार्य परिषद की आगामी बैठक में प्रस्तुत करे।

(सुशील कुमार)  
कुलसचिव